

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

मोबाल, दिनांक 4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 27 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण  
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एन 11  
द्वारा म0प्र0 राजपत्र अताधारण में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त  
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक  
को स्थानापन्न स्व से आगामी आदेश तक विषय के सहायक  
प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा में स् 0-700-40-  
1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय  
में परीबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्यागी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा0 105. कु0 अमता प्रोवास्तव के. पी0 आत्मजा प्रो श्रीम0 प्रोवास्तव शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर	30-5-1960	शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर Principal A.B. College of Home Science for Women. Jabalpur

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पार जाने  
की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं  
पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख  
से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा  
जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त  
गए हैं ।



कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, बीना-20090  
 प्रमाणिका संख्या/ /84 बीना, दिनांक दिनांक

**आदेश**  
 =====

तद्विषय, तदर्थ व्याख्याता समन समिति, तागर के  
 आदेश प्रमाणिका संख्या/1234/84 दिनांक 17-12-84 के  
 अनुसार इस महाविद्यालय में विभिन्न विभाग प्रत्यासिद्धों की रिक्त  
 पदों के विरुद्ध उनके नाम के साथे दशाधि श्रेणी विभागों पर तदर्थ  
 नियुक्ति दिनांक 1-1-85 के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की  
 तिथि से 30-4-85 अर्थात् 6 माह की अवधि अर्थात् शासन  
 द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों लिये जाने अर्थात् अगले आदेश की  
 तारीख तक के लिये अर्थात् तब तक पर वेतनमान 20700-  
 1600 में ली जाती है। *अनुसूची दिनांक 1-1-85 तक प्रमाणिका संख्या 1234/84*

- 1 80 बतौती पैन स्थापनागत विभाग
- 2 80 मन्ना श्रीवास्तव शैक्षणिक विभाग

नोट:- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व  
 प्रत्यासिद्धों को अपनी शैक्षणिक *एच.ए.*  
 योग्यता संबंधी मूल प्रमाणिका कार्यालय *[डाटा प्रकृत प्रमाणिका]*  
 में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रमाणिका संख्या/ 2553 /84 बीना, दिनांक 22 दिनांक दिनांक

**प्रतिलिपि :-**

- 1 80 बतौती पैन आरकबा श्री रामगोपाल पैन, बतौती पैन  
 आंडार के अर, तीन बतौती, तागर ।
- 2 80 मन्ना श्रीवास्तव आरकबा श्री देवीश्रीवास्तव  
 356 पैदाद बवाठर, पारिपनी टामापुरा, बतौती मार्ग  
 बार्ड, बतौती ।
- 3 तद्विषय, संस्थानीय तदर्थ व्याख्याता समन समिति, तागर
- 4 डाटा प्रकृत प्रमाणिका, अतिरिक्त संवातक, महाविद्यालयीन  
 शिक्षा संवातनालय, मोरवावा
- 5 शिक्षा प्रकृत, शासकीय महाविद्यालय, बीना
- 6 उपसहायक अध्यापक, बुरह ।
- 7 कार्यालयीन प्रतिलिपि ।

*skun*  
 [डाटा प्रकृत प्रमाणिका]  
 प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय  
 (बीना) (नं. 2553)



- 4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके खर्च में एक माह का वेतन दिया जाकर तत्प्राप्त की जा सकेगी ।
- 5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।
- 6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि & मास्टर्स डिग्री & के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि & यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है & प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

& जी०पी०तिवारी &  
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

पृ० क्रमांक एक 1/27 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 27 MAR 1987.

प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल & 10 प्रतियों में &
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

& पी०एस०मरहास &  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोवाल, दिनांक 17 MAR 1967, 1967.

क्रमांक एफ 1/27/87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितकरण  
नियम, 1966 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एन[1]  
द्वारा 3098 राजपत्र [अंशधारण] में प्रकाशित अधिलेखना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त  
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्टाफ प्राध्यापक  
को स्थानान्तरण स्व से आगामी आदेश तक \_\_\_\_\_ विषय के स्टाफ  
प्राध्यापक बट वर मध्यप्रदेश वैश्विक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में एच 700-40-  
1100-50-1300-अलेक्सेन्ड-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के त्रुटि प्रकृत महाविद्यालय  
में बरिबीक्षा वर नियुक्त किया जाता है।

व्रत्यागी एवं पिता/वसति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांशित किया जाता है
<p>सहो</p> <p>10A श्री नन्दलाल पटेल [कुर्मी] आत्मय श्री के०पी० कुर्मी</p> <p>[शासकीय महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा]</p>	20-7-1960	<p>शासकीय महाविद्यालय, बाण्डरना</p>

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके परिन तत्प्रापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पार जाने की व्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका परिन तत्प्रापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं बाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व तूपना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियुक्तियों के अनुत्तर, नियुक्त  
कर हैं।

- 4- यह नियुक्ति कितनी भी जोर से एक माह का नोटिस अथवा उसके बराबर में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।
- 5- यह का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा कितनी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।
- 6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि § मास्टर्स डिग्री § के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि § यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है § प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

verified  
humble

Principal  
Govt. Science College  
Pundhara

§ जी०पी०तिवारी §  
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

पृ० क्रमांक एफ 1/ 27 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 17 MAR 1987, 1987.  
प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल § 10 प्रतियों में §
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

§ पी०एच०एम०रहात §  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,



मध्यप्रदेश शासन  
उच्चशिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 30/05/2018

एफ 1-37/2011/38-1 राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती के नियुक्त प्राध्यापकों द्वारा परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कालम नम्बर 05 में दर्शाई गई तिथि से परीक्षा अवधि समाप्त कर प्राध्यापक पद पर स्थाई किया जाता है।

क.	प्राध्यापक का नाम एवं महावि. का नाम	नियुक्ति का आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	परीक्षा अवधि समाप्त किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	डॉ० गिरीशवर्मा, प्रा. भौतिकशास्त्र, शास. मो.ह. गृहविज्ञानमहावि. जबलपुर	एफ-1-174/ 2011/38-1, दि. 6.2. 2012	8.2.2012	8.2.2014
2	डॉ० मृत्युंजय कुमार, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शास. पी.जी. महावि. मण्डला	एफ 1-175/ 2011/38-1, दि. 14.3. 2012	19.3.2012	19.3.2014
3	डॉ० संजयकांत खरे, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शास. महावि. बैहर	एफ 1-175/ 2011/38-1, दि. 27.2. 2012	10.3.2012	10.3.2014
4	श्री ब्रम्हानंद त्रिपाठी, प्राध्यापक भूगोल, शास. एम.के.बी. कन्यामहावि. जबलपुर	एफ 1-23/ 07/ 1-38, दि. 6.5.2011	7.5.2011	7.5.2013
5	डॉ०(श्रीमती) शारदा सिंह, प्राध्यापक हिन्दी, शास. हमीदिया कलावाणि. महावि. भोपाल	एफ 1-178/ 2011/38-1, दि. 11.4. 2012	16.4.2012	16.4.2014



क्रमांक  
प्रति

ज भा / स्व वि / 13

दिनांक 12/09/2013

प्रियका दुबे  
श्री अश्विनी कुमार दुबे  
द्वारा श्री आर पी  
बाजपेई म.प. 949  
बाई का बगीचा 2  
स्ट्रीट जबलपुर(म.प्र.)

विषय :आपके आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान (रिक्त पद) हेतु आमंत्रण की सूचना ।

संदर्भ :आपका आवेदन क्रमांक 20347 दिनांक 12.05.12

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है । आपसे अपेक्षा की जाती है आपको शैक्षणिक सत्र 2013-2014 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा ।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

- 1 यह कि आपको 45-55 मिनट के एक कालखण्ड के व्याख्यान के लिये 155 रुपये देय होगा तथा एक कार्यदिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपकी आवंटित किये जा सकते हैं ।
- 2 यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2013-2014 के लिये ही सीमित होगा ।
- 3 आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।
- 4 महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
- 5 आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

डॉ. शोभना जोगी  
प्राचार्य

सचिव/ प्राचार्य, जनभागीदारी समिति  
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

प्र. क्रमांक 2020 दि. 12-9-13  
प्रतिलिपि

- 1 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2 कार्यालयीन प्रति ।

डॉ. शोभना जोगी

सचिव/ प्राचार्य, जनभागीदारी समिति



दिनांक 23/11/21

क्रमांक 1331  
प्रति,

सुश्री रोशनी हल्दकार  
पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद हल्दकार  
चर्च कॉलोनी वार्ड नं.13 सिहोरा रोड, खितौला पिन कोड 483225 जिला जबलपुर

विषय - अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2021-2022 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक

संदर्भ - आपका आवेदन क्रमांक 107758 Date :-23/11/2021

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में भौतिक शास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

11. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
12. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कडिका 5.1 अनुसार होगा।
13. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून 2022 तक के लिए सीमित होगा।
14. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
15. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
16. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 23 नवंबर 2021 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
18. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
19. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
20. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

सचिव,  
जनभागीदारी समिति

दिनांक.....

क्रमांक 1332  
प्रतिलिपि

3. क्षेत्रीय अति संचा उशि. जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालयीन प्रति।

23/11/21

सचिव,

जनभागीदारी समिति  
प्राचार्य/सचिव

जनभागीदारी समिति

शास. (स्वशासी) मो. ह. गृहविज्ञान  
एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय  
जबलपुर (म.प्र.)



Shot on OnePlus

17 December 2024 at 1:19 pm



क 3452/स्था/2020

अतिथि विद्वान आमंत्रण पत्र 2020-2021

प्रति,  
डॉ अंजना गोरवाभी  
पिता श्री शिवराम गोस्वामी  
म न. 629, रानीताल गेट न 1 के पास  
नवीन टैट हाउस के पीछे जबलपुर म.प्र.  
पिन कोड 482002, मो न 8982229401

अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-2021 के लिये आमंत्रण पत्र।

म.प्र. शासन उ.शि विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क 1-42/2017/38-1 दिनांक 26-06-2018

मान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्र. क 8947/2016 में दिये गये निर्णय दिनांक 26-09-2017 एवं उसके परिपालन में जारी निर्देश।

कार्यालय आयुक्त उ.शि भोपाल का पत्र क 1274/548/आउशि/शाखा 2/भोपाल दिनांक 01.07.2019

कार्यालय आयुक्त उ.शि भोपाल का पत्र क्रमांक 1166/1016/आउशि/शाखा 2/2017 भोपाल दिनांक 03.03.2018

कार्यालय आयुक्त उ.शि भोपाल का पत्र क्रमांक 699/335/आउशि/शाखा 2/2020 भोपाल दिनांक 30.06.2020

आपको महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में विषय भौतिकशास्त्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि के रूप में आयुक्त उ.शि विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 699/335/शाखा 2/2020 भोपाल दिनांक 30-06-2020 में निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय में दिनांक 01-07-2020 से 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा प्राध्यापक की नियुक्ति होने तक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।

आप अपनी उपस्थिति दिनांक 08-07-2020 (कार्यालयीन समय) तक महाविद्यालय में अनिवार्यतः दें। उक्त के पश्चात् किसी भी अतिथि विद्वान को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जावेगा। आपको शैक्षणिक सत्र 2020-2021 मानदेय एवं अन्य शर्तें संदर्भित शासनादेश के अनुसार रहेंगी

सचिव

जनभागीदारी समिति  
शास.म.प्र. उ.शि विज्ञान एवं गृहविज्ञान  
महिला महाविद्यालय जबलपुर  
Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)

जबलपुर दिनांक 1-7-2020

क 3453/स्था/2020

लेपि

1. आयुक्त उ.शि संचालनालय सतपुड़ा भवन 5 मंजिल भोपाल।
2. अति संचा उ.शि जबलपुर संभाग जबलपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अतिथि विद्वान, शास एम.एच. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महावि. जबलपुर म.प्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र शास एम.एच. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महावि. जबलपुर म.प्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. कार्यालयीन प्रति।

सचिव

जनभागीदारी समिति  
PRINCIPAL  
Jee. M. H. College of Home S.  
Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)



मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक : 15.11.07

क्रमांक एफ-1-47/2005/1/ अडतीस :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23/05/2006 एवं 08/12/2006 की निरन्तरता में राज्य शासन द्वारा दिनांक 01/01/2004 की स्थिति में प्रवर श्रेणी वेतन मान रूपये 12000-420-18300 में कार्यरत निम्नलिखित प्राध्यापकों को समान वेतनमान में स्थानापन्न रूप से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

2/ मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 की अनुसूची '2' के कालम 3 के खण्ड (चार) (ब) के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिती के माध्यम से भरे जाने वाले प्राध्यापकों के पदों की पृथक से कोई संख्या निर्धारित नहीं है, और इन पदों की संख्या पदोन्नत प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त सहायक प्राध्यापक का पद संबंधित अधिकारी द्वारा प्राध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्राध्यापक का पद माना जावेगा। संबंधित प्राध्यापक के पदोन्नत होने/ सेवा निवृत्त होने या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उक्त पद पुनः सहायक प्राध्यापक के पद संवर्ग में परिवर्तित हो जावेगा।

3/ इन प्राध्यापकों की पदस्थापना सहायक प्राध्यापक के संवर्ग के पदों के विरुद्ध मानी जावेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से प्राध्यापक के पद में उन्नयित माना जावेगा। भविष्य में इन अधिकारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण होने पर पदांकित महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक का संबंधित पद प्राध्यापक संवर्ग में उन्नयित माना जावेगा।

4/ ये पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. WP-7509/2007 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

निरंतर ...2



**मध्य प्रदेश शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**आदेश**

मोबाल, दिनांक 4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एक 1/27 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एम॥1॥ द्वारा म०प्र० राजपत्र अताधारण में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक श्रीतिकाशराम विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा श्र महाविद्यालयीन शाखा श्र में स् 700-40-1100-50-1300-असेलमेन्ट-50-1600 के बतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में बरिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्यागी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
<p style="text-align: center;">श्री ०</p> <p>90- कु० गोमा दास आत्मजा श्री भावान दास</p> <p>श्री शासकीय म०००महिला गृह वि० महाविद्यालय, जबलपुर ।</p>	<p style="text-align: center;">31-1-1960</p>	<p>शासकीय म०००महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर</p>

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के सम्राधान कारक पार जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, सम्राधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सतंगत प्ररती नियमों के अनुसार नियुक्त किए हैं ।

*Received a copy Suler*



कार्यालय प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय- शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 101

दिनांक....08-07-2024

प्रति,

✓  
डॉ राजकुमार गौतम  
स्व. गथुरा प्रसाद गौतम

विषय - अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2024-2025 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक  
संदर्भ - 1. उच्च शिक्षा विभाग म.प्र शासन मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल का पत्र क एफ 1/1/201/2023/38-1 भोपाल दि 05.10.2023  
2. कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश रातपुडा भवन भोपाल का पत्र क 147/82/आउशि/अ.वि/24 भोपाल दि 03.07.24

आवेदन क्रमांक 506411 Date .....

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में **भौतिकशास्त्र** विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 6 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. उच्च शिक्षा विभाग म.प्र शासन मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल का पत्र क एफ 1/1/201/2023/38-1 भोपाल दि 05.10.2023 के कंडिका क 6.1 निति निर्देश के अनुसार मानदेय देय होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 अर्थात् 30 जून 2025 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत् न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 09-07-2024 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 एवं एफ/1/1/201/2023/38-1 भोपाल दिनांक 05-10-2023 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

क्रमांक 102  
प्रतिलिपि

1. क्षेत्रीय अति संचा उशि. जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

  
प्राचार्य

शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
दिनांक....08-07-2024  
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

  
प्राचार्य

शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक 1516  
प्रति ✓ शैलासिंह

दिनांक: 22.8.15

विषय आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।  
सन्दर्भ आपका आवेदन क्रमांक दिनांक 41311, 25/07/2015

—0—

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में Physics विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी शैक्षणिक सत्र 2015-16 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:

1. यह कि आपको 45-55 मिनट के एक काउन्सिल के व्याख्यान के लिए रुपा 200/- तथा एक कार्य दिवस हेतु अधिकतम मानदेय रुपा 600/- देय होगा। एक कार्यदिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पावता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का पावता खर्च देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्व शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 19 से 22 अगस्त, 2015 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।

विशेष-टीप: इधम चरण अक्टूबर में म्यान रिक्त रहने की स्थिति में क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालकों द्वारा द्वितीय चरण में महाविद्यालय आवंटन दिनांक 25 अगस्त 2015 को किया जायेगा। इस हेतु उच्छुक्त आवेदकों को दिनांक 23 अथवा 24 अगस्त, 2015 को सम्बंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालक कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी।

Ahwan

सचिव  
जनभागीदारी समिति,  
राज्य मो. ३ पुरुषविज्ञान एवं विज्ञान  
दिनांक: महाविद्यालय, जयपुर  
22.8.15

पु. क्रमांक 1517  
प्रति निवि:  
1. क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा,  
2. कार्यालयीन प्रति

X. Singh

सभा, श्री और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ahwan

सचिव  
जनभागीदारी समिति,  
राज्य मो. ३ पुरुषविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला भाग उच्चतम, जयपुर